




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 1988/ज्यैष्ठ 31, 1910
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 1988/JYAISTHA 31, 1910

2]
22]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या का बात है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 21 जून, 1988

अधिसूचना

क्र. सं. 596(घ) :—शिक्षण भारतीय त्तरनीकी शिक्षा
अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के खण्ड
के उप खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
केन्द्रिय सरकार विन्तलिखित को अधिनियम भारतीय
शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती
अधिसूचना

2. श्री रामानन्द यादव, मंत्री (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
विहार सरकार, पटना खण्ड [3 के उप खण्ड (4) की
धारा (2) के अनुसार]।

3. श्री प्रतापसिंह रावत्री राते, मुख्य मंत्री, गोवा नर
कार, पणजी खण्ड [3 के उपखण्ड (4) की धारा (2) के
अनुसार]।

4. श्री हसमुख भाई पटेल, शिक्षा मंत्री, गुजरात सरकार
गांधी नगर, [खण्ड 3 के उपखण्ड (4) की धारा (2) के
अनुसार]।

5. श्री के.एम. कारवती, अध्यक्ष, इन्स्टीट्यूट ऑफ
इंजीनियर्स (इंडिया), 8 गोवर्धने रोड बलसन्ता। [खण्ड 3
के उपखण्ड (4) की धारा (2) के अनुसार]।

1. श्री डॉ. सत्यनारायण, तकनीकी शिक्षा मंत्री, आंध्र
सरकार बेंदुराबाद [खण्ड 3 के उप खण्ड (4) की
धारा (2) के अनुसार]।

तथा दिनांक 12 मई, 1988 के भारत के असाधारण
राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित मानव
संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा प्रकाशित

की अधिमूचना संख्या एम. ओ. 479 ई, दिनांक 12 मई, 1988 की अधिमूचना को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:—

उक्त अधिमूचना में:—

(i) प्रविष्टि (22) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
“(22) श्री डी. सत्यनारायण, तकनीकी शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद [खण्ड 3 के उपखण्ड (4) की धारा (क) के अनुसार]। सदस्य

(ii) प्रविष्टि (25) से (27) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
“(25) श्री रामानन्द यादव, मंत्री (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी), बिहार सरकार पटना [खण्ड 3 के उपखण्ड (4) की धारा (क) के अनुसार]। सदस्य

(26) श्री प्रतापसिंग रावजी राने, मुख्य मंत्री, गोवा सरकार, पणजी, [खण्ड 3 के उपखण्ड (4) की धारा (क) के अनुसार]। सदस्य

(27) श्री हसमुख भाई पटेल, शिक्षा मंत्री, गुजरात सरकार, नगर, [खण्ड 3 के उपखण्ड (4) की धारा (क) के अनुसार]। सदस्य

(iii) प्रविष्टि 41 के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(41) श्री के.एम. चक्रवर्ती, अध्यक्ष इन्स्टीट्यूट आफ इंजिनियर्स (इंडिया), कलकत्ता। [खण्ड 3 के उपखण्ड (4) की धारा (क) के अनुसार]। सदस्य

[नं. एफ. 1-18/88-टी.-5]

प्रो. अशोक चन्द्र, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 21st June, 1988

NOTIFICATION

S.O. 596(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section (3) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the Central Government hereby appoints the following as members of the All India Council for Technical Education, namely:—

1. Shri D. Satyanarayana, Minister for Technical Education, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3].
2. Shri Ramanand Yadav, Minister (Science and Technology), Government of Bihar, Patna [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3].
3. Shri Pratapsing Raaji Rane, Chief Minister, Government of Goa, Panaji [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3].
4. Shri Hasnukhbhai Patel, Minister for Education, Government of Gujarat, Gandhinagar [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3].
5. Shri K. M. Chakravarti, President, The Institution of Engineers (India), 8, Gokhale Road, Calcutta [vide clause (a) of sub-section (4) of section 3].

and amends the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) No. S.O. 479(E) dated the 12th May, 1988 published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, sub-section (ii) dated the 12th May, 1988 as follows:—

In the said notification —

(i) for entry (22), the following entry shall be substituted, namely:—

“(22) Shri D. Satyanarayana, Minister for Technical Education, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]. —Member”

(ii) for entries (25) to (27), the following entries shall be substituted, namely:—

“(25) Shri Ramanand Yadav, Minister (Science and Technology), Government of Bihar, Patna [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]. —Member

(26) Shri Pratapsing Raaji Rane, Chief Minister, Government of Goa, Panaji [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]. —Member

(27) Shri Hasnukhbhai Patel, Minister for Education, Government of Gujarat, Gandhinagar [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]. —Member”

(iii) for entry 41, the following entry shall be substituted, namely:—

“(41) Shri K. M. Chakravarti, President, The Institution of Engineers (India), Calcutta [vide clause (a) of sub-section (4) of section 3]. —Member”

[No. F. 1-18/88-T.5]

PROF. ASHOKA CHANDRA, Education Adviser (Technical)

(iii) Issue of duplicate Certificate of Airworthiness Rs. 100.00
 D. Issue renewal or modification in scope of licence or authorisation in respect of AME/ARME/GME under rule 61 :

(i) For each category of licence examination to be held Rs. 100.00
 for issue or renewal or modification in scope
 of a licence and type endorsement/authorisation
 approval.

(ii) Issue/renewal or issue of duplicate licence Rs. 100.00

3. All fees shall be paid by crossed Indian postal order or Bank Draft, drawn in favour of Dir. General of Civil Aviation.

4. Where for any reason, the licence or authorisation or certificate, is not issued, renewed or validated, as the case may be, the Director General may refund to the applicant such portion of the fees paid as represents the cost of any examination or test or inspection not carried out or any licence, authorisation or a certificate not issued or renewed or validated, as the case may be.

[F.No. AV. 11012/1/88-A]
 O.P. AGGARWAL, Under Secy.

FOOT NOTE :

The Principal Rules were published vide notification No. V-26 dated the 23rd March, 1937 in the Gazette of India Part I, dated the 27th March, 1937.

Subsequently amended by:

GSR 1232 dated 18th September, 1972 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 30th September, 1972 of the Gazette of India.

GSR 2387 dated 26th August, 1975 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 13th September, 1975 of the Gazette of India.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1990

सा.का.नि. 387.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) 14(iv) और 23 (ii)(ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा 18 अप्रैल, 1990 में कलकत्ता में अपने कार्यालय सहित पूर्वी क्षेत्रीय समिति संस्थापित करती है। पूर्वी क्षेत्रीय समिति की संरचना, कार्यकरण, सीमांकन और सदस्यता नीचे दी गई है:—

संरचना और सदस्यता

- अध्यक्ष (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए)
 श्री सुरेश जे घांडी, अध्यक्ष
 आवास निदेशक
 टाटा इंजीनियरी एंड लोकोमोटिव क. लि.
 जमशेदपुर-832110
- शिक्षा विभाग (एक प्रतिनिधि)
 डा. के. गोपालन, सदस्य
 संयुक्त शिक्षा सलाहकार (टी.)
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 (शिक्षा विभाग)
 शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3. अम मंत्रालय (एक प्रतिनिधि)
श्री आर. सी. भट्टाचार्य,
निदेशक,
ए. टी. आई कलकत्ता, दाक्ष नगर
हावड़ा-711105 सदस्य
- 4-6. प्रमुख नियोजन मंत्रालय (3 प्रतिनिधि)
(रेलवे, यातायात पी. डब्ल्यू. डी. रक्षा)
शिक्षा, शक्ति, इत्यादि
- 7-18. राज्य और संघ शासित प्रदेश (प्रत्येक राज्य और सं. शा. प्रदेशों से एक प्रतिनिधि)
1. असम डा. निर्मल कु. चौधरी
निदेशक, तकनीकी शिक्षा, गौहाटी सदस्य
2. बिहार
3. मणिपुर श्री बी. एम. मुखर्जी
नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा, टाक्थेल
इम्फाल-795001 सदस्य
4. मेघालय डा. आर. एन. हजारीक
अपर निदेशक, तकनीकी
शिक्षा, शिलांग-793001 सदस्य
5. मिजोरम कि. सी. यानेसिया
प्रधानाचार्य, मिजोरम
पालिटेक्निक,
लूंगली, मिजोरम सदस्य
6. नागालैंड श्री आई यांगर
निदेशक, उच्च तथा
तकनीकी शिक्षा,
कोहिमा सदस्य
7. उड़ीसा श्री बी. बी. दास
निदेशक, तकनीकी शिक्षा,
भुवनेश्वर सदस्य
8. सिक्किम श्री एम. सी. माथुर,
शिक्षा निदेशक,
गंगटोक सदस्य
9. त्रिपुरा प्रधानाचार्य,
त्रिपुरा इंजीनियरी
कालेज, बर्जाला, जिरानिया,
त्रिपुरा। सदस्य
10. प. बंगाल श्री डी. सी. दास
निदेशक, तकनीकी शिक्षा (अधिनियम)
कलकत्ता सदस्य
11. अरुणाचल प्रदेश श्री जी. सी. यादव
संयुक्त जन शिक्षा निदेशक,
(विज्ञान और गणित) इटानगर सदस्य
12. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह श्री एच. डी. बिर्डी
सचिव (शिक्षा)
पोर्ट ब्लेयर सदस्य

- 19-21. उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम (3 प्रतिनिधि जो परिषद् के अध्यक्ष द्वारा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति मनोनीत किये जायेंगे)
1. उद्योग श्री एन. के. गोस्वामी, मदस्य
प्रमुख वार्ड पालक,
गज़हीट चाय और उद्योग,
11, सरकार स्थान पूर्व
कलकत्ता-700001
2. वाणिज्य श्री एम. चालिहा, सदस्य
अध्यक्ष
आयल इंडिया लि.
पो. आ. धुलियाजन,
जि. डिब्रूगढ़, असम-786602
3. श्रम श्री तरित तोपेदार, सदस्य
सी. आई. टी. यू. 6, तालकटोरा मार्ग,
नई दिल्ली
(एक प्रतिनिधि)
22. भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी
डा. बी. सेन,
प्रधानाचार्य,
बंगाल इंजीनियरी कालेज,
कलकत्ता-7111003
- 23-30. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, सी.एस. प्रबंध संस्थाएं, (आठ प्रतिनिधि जो परिषद् के अध्यक्ष द्वारा राज्य इंजीनियरी कालेजों, पालिटेक्निकों, तकनीकी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं मनोनीत किए जाएंगे।)
आदि सहित तकनीकी संस्थाएं
1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रो. के. एल. चोपड़ा (पदेन) पदेन सदस्य
निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
2. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज प्रो. डा. सोमनाथ मिश्रा, सदस्य
प्रधानाचार्य,
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज,
राऊरकेला-769008
3. राज्य इंजीनियरिंग कालेज प्रो. एस. सी. पांडे, सदस्य
निदेशक,
विरला प्रौद्योगिकी संस्थान,
रांची, बिहार
4. पालिटेक्निक श्री पी. बरुआ, सदस्य
प्रधानाचार्य,
खेलहड़ पालिटेक्निक संस्थान,
अलीजू, जुन्हेवेट, नागालैण्ड
5. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान प्रो. ए. मुस्तफी, पदेन-सदस्य
प्रधानाचार्य
तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान,
कलकत्ता
6. प्रबंध निदेशक, (पदेन) पदेन-सदस्य
भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता
7. वास्तुकला प्रो. समीर रक्षित सदस्य
वास्तुकला विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय,
वास्तुकला-700032

U.Ts.:

- *1. Daman and Diu
- *2. Dadra & Nagar Haveli:

13-15. Eminent persons connected with Industry, Commerce and Labour: (Three representatives to be nominated by the Chairman of the Council)

Industry:

Dr. Ramakant Deshpande, Member
Corporate Adviser (Technical)
Bharat Forge Limited,
Mundhawa,
Pune-411 030.

Commerce:

Dr. Kalyan Banerjee, Member
Chairman,
& Managing Director,
Exim Bank.

Labour:

Shri N.M. Barot, Member
President,
National Labour Organisation,
Gandhi Mazdoor Shivlaya,
Bhadna.

16. Indian Society for Technical Education : (One representative)
Prof. V.R. Deshpande, Member
Principal,
Cusrow Wadia Institute of Technology,
Pune.

17-24 Technical Institutions including IITs, RECs, Managing Institutions, State Engineering Colleges, Polytechnics etc. (8 representatives to be nominated by the Chairman of the Council)

IITs:

Prof. B. Nag, Ex-officio Member
Director,
Indian Institute of Technology,
Bombay.

RECs:

Dr. G.N. Garud, Member
Principal,
V.R.C.E.
Nagpur-440 001.

State Engineering College
Dr. J.P. Srivastava, Member
Director,
G.S. Technological Institute,
Indore.

Polytechnics:

Father F. De. Melok, Member
Principal,
St. Xavier Technical Institute,
Bombay-400 016.

TTTIs:

Prof. H.C. Sabharwal, Ex-officio Member
Principal,
TTTI,
Bhopal.

Computer Science:

Dr. S. Ramani, Member
National Centre for Software,
Technology,
Gulmohar Cross Road,
Bombay-400 049.

Architecture:

Shri Kirtee Shah, Member
Architect,
Ahmedabad.

Management:

Director, Ex-officio Member
Indian Institute of Management
Ahmedabad.

25-27*All India Boards of Studies: (3 representatives)

28. *Institution of Engineers (India) (One representative)

29-30 State Boards of Technical Education (Chairman of the two State Board/Council of Technical Education)

- 1. Chairman, State Board/Council of Technical Education, Government of Maharashtra. Ex-officio Member
- 2. Chairman, State Board/Council of Technical Education, Government of Goa. Ex-officio Member

- 31-32 Boards of Apprenticeship:
(Chairman of Two Boards)
1. Chairman,
Board of Apprenticeship Trg. Ex-officio
Madras. Members
 - Chairman,
Board of Apprenticeship Trg.
Bombay.
- 33-34 State Industrial Liaison
Boards:
(Chairman of two Industrial
Liaison Boards in States in the
Region).
1. Chairman of State Industrial Ex-officio
Liaison Board, Members
Gujarat.
 2. Chairman of State Industrial
Liaison Board,
Maharashtra.
35. Confederation of Engineering
Industry:
(One representative)
36. Eminent Social Scientists:
(One representative)
Dr. (Miss) A. Desai, Member
Director,
Tata Institute of Social Sciences,
Deonar,
Bombay-400 088.
37. Representative to look after
the interests of Women:
(One representative)
Mrs. Neera Desai, Member
Formerly of SNDT University,
Bombay.
38. Representative to look after the
interests of Appropriate Technology
for Rural Development)
(One representative)
Prof. S.S. Kalbagh, Member
Vidnyan Ashram,
Indian Institute of Education,
Pabal,
Distt. Pune:412 403.
39. Indian National Academy of
Engineering:
(One representative)
Dr. S.P. Sukhatme,
Professor of Mechanical
Engineering, Member
IIT,
Powai,
Bombay.
40. National Technical Manpower
Information System:
(One representative)
Dr. V.N. Gupchup,
Principal,
Victoria Jubilee,
Technical Institute, Member
Bombay.
41. University Grants Commission:
(One representative)
Dr. S.P. Gupta, Member
Additional Secretary,
University Grants Commission,
New Delhi.
42. Planning Commission:
(One representative)
Shri M.R. Kolhatkar,
Adviser (Education), Member
Planning Commission,
New Delhi.
Alternative Member
Shri S.R. Chopra,
Deputy Adviser (Education),
Planning Commission,
New Delhi.
43. *National Board of Accreditation:
(One representative)
44. Regional Officer, Member-
Western Region Office, Secretary
Bombay.
-
- *Note: The members representing these orga-
nisations will assume the charge of Office of the
Members of the Western Regional Committees
from the date they are so appointed.
- Functions:
- Processing of development proposals/schemes
including starting of new technical institutions,
New courses and programmes.
- Implementation of the recommendations/
decision of the Council.
- Interaction with (a) the State Board of Tech-
nical Education; (b) State Industrial Liaison
Board (c) Government Bodies of technical in-
stitutions; (d) Regional Engineering Colleges,
(e) TTIs; (f) Community Polytechnics; (g)
Boards of apprenticeship Training (h) other
technical institute bodies; and (i) Committees
of the States and other educational organisations/
bodies.

क्र. सं.	ना. व. एन. भांडुड़ी, निदेशक, भारतीय जीवसंरक्षण जीव-विज्ञान संस्थान 4, राजा एस. सी. मलिक रोड, जादवपुर, कलकत्ता-700032	राज्य
31-33* अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड 34* इंजीनियरी संस्था (भारत) 35-36 राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड		(तीन प्रतिनिधि) (एक प्रतिनिधि) (पश्चिम बंगाल/विहार के दो राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिषद् के अध्यक्ष) पदेन सदस्य
1. अध्यक्ष, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिषद्, पश्चिम बंगाल 2. अध्यक्ष, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिषद्, विहार		पदेन सदस्य (दो बोर्डों के अध्यक्ष)
37-98 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड 1. अध्यक्ष, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कलकत्ता 2. अध्यक्ष, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई		पदेन सदस्य पदेन सदस्य
39-40 राज्य आयोगिक संपर्क बोर्ड 1. अध्यक्ष, राज्य आयोगिक संपर्क बोर्ड, असम 2. अध्यक्ष राज्य आयोगिक संपर्क बोर्ड, उड़ीसा		(क्षेत्र में राज्य के दो आयोगिक संपर्क बोर्डों के अध्यक्ष) } पदेन सदस्य
41. इंजीनियरी, उद्योग का परिमेष श्री अलोक मुखर्जी, अध्यक्ष, सी.ई.आई. (ई. आर.) 23, 26, संस्थानत क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003		पदेन सदस्य (एक प्रतिनिधि) नस्य
42. प्रख्यात समाज वैज्ञानिक डा. (श्रीमती) भारती राय समकूलपति, (शैक्षिक) कलकत्ता विश्वविद्यालय, कॉलेज स्ववेयर, कलकत्ता-700073		(एक प्रतिनिधि) सदस्य सदस्य
43.* विकलांग के हितों की देखभाल करने के लिए समाज कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि		(एक प्रतिनिधि)
44. महिलाओं के हितों की देखभाल करने के लिए एक प्रतिनिधि श्रीमति निर्मला बेनर्जी, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, 10, लेकटेरेस, कलकत्ता-700029		(एक प्रतिनिधि) सदस्य
45. ग्रामीण विकास के लिए उचित प्रायोगिकी के हितों की देखभाल करने के लिए प्रतिनिधि मि. जोये मडियाय ग्राम विकास जिला गंजाम (उड़ीसा)		(एक प्रतिनिधि) } सदस्य
46. भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी डा. ए. के. घोष डीन, योजना और विकास आई. एम. एम., धनबाद		(एक प्रतिनिधि) सदस्य
47. राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना पट्टी सलाहकार, सूचना पट्टी अनुप्रयुक्त जनशक्ति शोध संस्थान, नई दिल्ली		(एक प्रतिनिधि) पदेन सदस्य

- | | |
|---|-------------------------|
| 48. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
डा. एस. पी. गुप्ता
अपर सचिव
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली। | (एक प्रतिनिधि)
सदस्य |
| 49. योजना आयोग
मि. एम. धार. कोल्हाटकर,
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग, नई दिल्ली
वैकल्पिक सदस्य
श्री एस. के. चोपड़ा
उप सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग, नई दिल्ली | (एक प्रतिनिधि)
सदस्य |
| 50. *राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड | (एक प्रतिनिधि) |
| 51. क्षेत्रीय अधिकारी
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,
कलकत्ता | सदस्य सचिव |

टिप्पणी :— * इन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से पूर्वी क्षेत्रीय समिति के सदस्य के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

कार्यकरण :— नई तकनीकी संस्थाओं, नये पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों की शुरुआत सहित विकास प्रस्तावों/योजनाओं पर चारेंवाई करना।
परिषद की सिफारिशों/निर्णय का कार्यान्वयन।
निम्नलिखित के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप :—

- (क) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड
- (ख) राज्य औद्योगिक संपर्क बोर्ड
- (ग) तकनीकी संस्थाओं के शासी निकाय
- (घ) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
- (ङ) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
- (च) मापुदायिक पालिटैक्निक
- (छ) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड
- (ज) अन्य तकनीकी संस्थान/निकाय; और
- (झ) राज्य समितियां तथा अन्य शैक्षिक संगठन/निकाय।

राज्य सरकारों/राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय/व्यावसायिक निकाय/औद्योगिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना
तकनीकी संस्थाओं का सर्वेक्षण—तकनीकी जन शक्ति का मूल्यांकन सांख्यिकी आधार का विकास—राज्य सरकारों के लिए भावी विकास के लिए मार्गदर्शी सूचना का संग्रह तथा प्रसारण।

कोई सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन :

- (क) कर्मचारी विकास योजनाओं संबंधी आंकड़े एकत्र करना।
- (ख) उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ग्रंथालयों का नियोजन।
- (ग) पहले से विद्यमान तकनीकी संस्थानों, पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का समेकन।
- (घ) निर्धारित मानदंडों का प्रोत्साहन और कार्यान्वयन।
प्रत्यायन (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की सहायता)
- (क) संस्थाओं के दोरे
- (ख) कार्यक्रमों और सुविधाओं का मूल्यांकन
- (ग) समग्र मूल्यांकन संबंधी रिपोर्टें।
अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।